

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18 दिनांक : 16.03.2018

राजस्थान जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजट आवंटन वर्ष 2017-18


उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक एफ.1(14)शिक्षा 1/2004/पार्ट II दिनांक 15.03.2018 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु वर्ष 2017-18 के लिए नीचे लिखे जिला शिक्षा अधिकारियों का लेखामद 2202-02 107 07-00-13- छात्रवृत्ति एवं वजीफा (केन्द्रीय राहायता) में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला का नाम	छात्र संख्या	आवंटित राशि रीए
1	16289	AJMER-I	2773	0.60
2	16290	AJMER-II	5279	1.24
3	6452	ALWAR-I	4787	1.23
4	6454	ALWAR-II	7099	1.65
5	21127	BANSWARA	2991	0.74
6	21800	BARAN	4223	1.11
7	13976	BARMER	18668	4.21
8	7236	BHARATPUR-I	2936	0.86
9	7239	BHARATPUR-II	3012	0.78
10	17971	BHILWARA-I	12140	3.16
11	17972	BHILWARA-II	10123	2.56
12	3735	BIKANER	11372	2.67
13	17137	BUNDI	3865	0.97
14	21402	CHITTAURGARH	13534	3.50
15	4492	CHURU	10335	2.02
16	8914	DAUSA	5599	1.67
17	7576	DIHAUPUR	6977	1.40
18	20897	DUNGARPUR	4904	1.14
19	2735	GANGANAGAR	5732	1.22
20	3282	HANUMANGARH	9386	2.37
21	10196	JAIPUR-I	10321	3.16
22	10198	JAIPUR-II	10984	3.00
23	13291	JAISALMER	1557	0.42
24	14459	JALOR	8435	2.62
25	22087	JHAJAWAR	8524	2.43
26	5349	JHUNJHUNUN	7030	0.65
27	13122	JODHPUR-I	2335	0.58
28	31714	JODHPUR-II	3888	1.01
29	8085	KARALI	5604	1.40
30	21597	KOTA	3777	1.09
31	12261	NAGAR-I	7791	2.06
32	12262	NAGAR-II	7791	2.06

36	8468	S.MADHOPUR	5360	1.06
37	11216	SIKAR-I	2395	0.00
38	11219	SIKAR-II	4083	2.13
39	14800	SIROHI	4413	1.26
40	16781	TONK	5765	1.39
41	20688	UDAIPUR-I	6451	1.45
42	20689	UDAIPUR-II	5953	1.69
43	1558	Elementary	146818	250.00
		Total		320.00

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशनुसार किया जावे :-


1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति का वितरण योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जावे।
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
4. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि का वितरण छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में मामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. शालादर्पण से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आवंटन किया जा रहा है, अतः शालादर्पण से डाटा प्राप्त कर मामाशाह पोर्टल पर अपलोड करते हुए छात्रवृत्ति राशि का आहरण किया जाना है। विस्तृत निर्देश छात्रवृत्ति अनुभाग से जारी किए गए हैं।
6. राशि आहरण माह मार्च, 2018 में ही किया जाना सुनिश्चित करें।

  
 वित्तीय सलाहकार  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक : शिचिरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18 दिनांक : 6/03/2018

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
6. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

  
 लेखाधिकारी  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर